

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ.
का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु		
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कोरबा छत्तीसगढ़		
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		सूरजपुर	सूरजपुर	सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत 11.243 हे0 एवं बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत 6.961 हे0
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड	कक्ष क्रमांक /ख0क0	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
	(क) आरक्षित वन		47	1.210
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन		65	5.085
			63	1.857
	योग :-			8.152
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	-	-	-
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	प्रतापपुर	सूरजपुर	3.091
	योग :-			
	कुलयोग :-			
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनो का प्रकार	साल	मिश्रित
		साइट क्वालिटी	III and IVa	
		घनत्व	0.5	
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	सलग्न है। आवेदित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कुल 441 नग वृक्ष खड़े हैं।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	साल प्रजाति का प्राकृतिक पुनरुत्पादन अच्छा है ।		

NAVEED SHUJA UDDIN

(IFS.)

Divisional Forest Officer
Surajpur Division, Surajpur (C.G.)

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यक नहीं है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं है।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	आवश्यकता नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

//प्रमाण पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।

आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 06.12.2016

स्थान :- सूरजपुर

NAVEED SHUJAUDDIN
वन मण्डल अधिकारी (F.S.)
Surajpur Division, Surajpur (C.G.)